कायालय पुलिस उप अधीक्षक वृत भीम जिला राजसमन्द (राज.)
कमांक :- 725
दिनांक :- 11.2.21

सेवामें,
श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय,
जिला राजसमन्द

विषयः—राजस्थान सम्पर्क परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार निवासी पेलाडोल भीम थाना भीम की जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में।
प्रसंगः— राज. सम्पर्क पोर्टल कमांक 02210679385614 दिनांक 01.02.2021 की पालना में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग मे निवेदन है कि राज. सम्पर्क पोर्टल कमांक 02210679385614 दिनांक 01.02.2021 से परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार निवासी पेलाडोल भीम थाना भीम का इस आशय का प्राप्त हुआ कि दिनांक 31.01.2021 को प्रमुख समाचार पत्र दैनिक भास्कर जयपुर संस्करण में प्रकाशित खबर शीर्षक सात साल की मासूम को चचेरे भाई भाभी ने सिगरेट से दागा, नाखून, उखाडे थाने गई तो पुलिस ने भगाया, एडीजे के कहने पर दर्ज हुआ केस के सम्बन्ध में।

वगैरा परिवाद पर थानाधिकारी भीम से प्राप्त जांच रिपोर्ट से पाया गया कि दिनांक 29.01.2021 को प्रार्थी श्री सरदारसिंह पिता लक्ष्मणसिह जी रावत उम्र 28 वर्ष निवासी थानेटा भीम थाना भीम ने उप. थाना हो एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 27.01.2021 को मेरे मोबाईल नं. 9079002597 के व्हाटसअप पर एक विडियो वायरल होकर आया उसमें एक नाबालिग बच्ची पूजा पुत्री देवीसिह जाति रावत उम्र 7 साल निवासी थानेटा तहसील भीम बताते है कि रेखा देवी एवं किशनसिंह दोनो मुझे पीछले 2—3 महिने से हाथ पैर बान्ध कर रोज पिटते है तथा हर रोज मुझे रस्सी से बान्ध कर उल्टा लटकार पीटते है तथा अपने आपको थानेटा गांव की बताती है। ऐसी घटना की जानकारी होते ही मै व मेरे गांव के चिमन सिंह पिता तिलोक सिंह एवं चेलन प्रकाश सिंह पिता जीवनसिह निवासीयान थानेटा उस गांव पेलाडोल पहुचे जहां पर विडियो वाली जगह पर पुछताछ की तो पुजा को उसके घर पर नहीं होना बताया और झुठ बोलते हुए कहा कि वह लडकी तो उसके बाप के पास चली गई हैं तो हमने उससे पुलिस को शिकायत करने की बात कही तो उसने उक्त घटना बताते हुए कहा की वह लडकी पूजा भीलखेडा की हैं जो हम भीलखेडा किशनसिंह को साथ लेकर पहुचें वहा पर किशनसिह की बहिन के घर पर छुपा रखी थी और पुजा से फिर आप बीती पुछी तो उसने बताया कि मेरे माता पिता आज से तीन महिने पहले रेखा देवी व किशनसिंह के घर छोडकर गये तब से रेखा देवी व किशनसिह मुझे हर रोज रस्सी से बान्धकर उल्टा लटकाकर पीटते हैं और मुझे रोटी भी नहीं देते है और मुझे रेखा देवी ने पीटते हुए शरीर पर जगह जगह पम्प से मार मार कर हाथ को तोड दिया और हाथो पैरो की अंगुलिया तोड दी और हाथ के अंगुलियो के नाखून उखाड दिये और गुप्तागों पर भी लकडी और लोहे की राड से बार बार क्रूरता की और रेखा देवी ने अपने दांतो से पूजा के बाल काट दिये जिससे बहुत गहरे गालो पर घाव हो गये तथा पीट—पीट कर पैरो पर हाथों पर लोहे के पम्प से मार मार कर जगह—जगह घाव कर दिये और पुरी तरह से बेहाल अवस्था में थी। इस प्रकार अबोध नाबालिग पुजा के साथ बहुत कूरता की जिसे अब हम सब गांव के तौतबरी लोग मोहनसिंह पिता जीवनसिह, नाथूसिंह पिता हीरासिंह, कुपसिंह पिता माधुसिंह, गोपालसिंह पिता केशरसिह एक अन्य कई लोग पूजा को लेकर थने पर लाये है तथा रेखा देवी एंव किशनसिह द्वारी पूजा को बन्धक बना कर इसके साथ की गई कूरता करने पर अभियुक्तगणों के खिलाफ मुकदमा कर उचित कानूनी कार्यवाही करे तथा पुजा का मेडीकल मुआयना करावें। वगैरा आशय की रिपोर्ट पर थाना भीम पर प्रकरण संख्यांक 63/2021 धारा 344,323,34 भादस व 75 जेजे एक्ट म्रें दर्ज कर अनुसन्धान शुरू किया गया दौराने अनुसन्धान बयान प्रार्थी

Scanned with CamScanner

सरदारसिंह व गवाहान चमनसिह, चेतनसिंह, राजेन्द्रसिंह, गोपालसिंह एवं पिडिता पूजा के लेखबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये निरीक्षण घटनास्थल किया जाकर शामिल पत्रावली किया एवं मजरूह का मेडिकल करा चोट प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। पिडिता पूजा के धारा 164 जा.फौ. के तहत बयान कलमबद्ध कराये गये। पिडिता की एक्सरा प्लेटे आर के हॉस्पिटल से प्राप्त कर चोटो को खुलाशा कराया गया। जिसमें धारा 325 भादस का ईजाफा किया गया। मुल्जिम 1. श्री किशनसिंह पिता मोहनसिंह जाति रावत उम्र 55 साल निवासी पेलाडोल थाना भीम 2. श्रीमति रेखादेवी पत्नि किशनसिंह जाति रावत उम्र 40 साल निवासी पेलाडोल थाना भीम को गिरफ्तार कर पुछताछ की गई। कुलियां अनुसन्धान से मुल्जिम श्री 1. श्री किशनसिंह पिता मोहनसिंह जाति रावत उम्र 55 साल निवासी पेलाडोल थाना भीम 2. श्रीमति रेखादेवी पत्नि किशनसिंह जाति रावत उम्र 40 साल निवासी पेलाडोल थाना भीम जिला राजसमन्द कें खिलाफ जुर्म धारा 344,323,324,325/34 भादस व 75 जे.जे. एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया जाने से हर दोनो मुल्जिमानो को गिरफ्तार कर श्रीमान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भीम को रिमाण्ड पेश किया गया। जो न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे है। जांच प्रकरण का अग्रीम अनुसन्धान मन् वृताधिकारी वृत कुम्भलगढ द्वारा किया जा रहा है। जांच रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित है।

भवदीय

11/02/21

पुलिस उप अधीक्षक
वृत भीम जिला राजसमंद

Scanned with CamScanner